14

15

"विज्ञलेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत, क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001"

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 620] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2014 — अग्रहायण 13, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि राज्य की समस्त परियोजनाओं को मिलाकर अर्जित की जाने वाली सिंचित बहु-फसली भूमि का कुल रकबा, राज्य की कुल सिंचित बहु-फसली भूमि के 2% से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा.

No. F-4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that the aggregate area of irrigated multi-cropped land to be acquired for all projects in aggregate in the State shall in no case exceed 2% of the total irrigated multi-cropped land in the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 10 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि राज्य की समस्त परियोजनाओं को मिलाकर अर्जित की जाने वाली कृषि भूमि का कुल रकबा, राज्य की कुल शुद्ध बुआई क्षेत्र के 1% से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा.

No. F-4-28/Seven-1/2014.— In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 10 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013) the State Government, hereby, notifies that the aggregate area of agricultural land to be acquired for all projects in aggregate in the State shall in no case exceed 1% of the total net sown area in the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-28/सात-1/2014. — भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 30 की उप-धारा (2) सहपठित प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक (2) के सामने कॉलम (3) की प्रविष्टि द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में, वह कारक जिसके द्वारा बाजार मूल्य गुणित किया जाएगा, 1.00 (एक) होगा :

परन्तु यह कि देय मुआवजा (तोषण एवं ब्याज सहित), राज्य के पुनर्वास नीति, 2007 के प्रावधानों के अनुसार पड़त भूमि के मामले में रु. 6 लाख प्रति एकड़, असिंचित एक फसली भूमि के मामले में रु. 8 लाख प्रति एकड़ एवं सिंचित दो फसली भूमि के मामले में रु. 10 लाख प्रति एकड़ से किसी भी दशा में कम नहीं होगा.

No. F-4-28/Seven-1/2014— In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 30 read with entries in column (3) against serial number (2) of the First Schedule of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (No. 30 of 2013), the State Government, hereby, notifies that in case of rural areas, the factor by which the market value is to be multiplied shall be 1.00 (One) :

Provided that in any case compensation payable including (solatium and interest) shall not be less than Rs. 6 Lacs per acre in case of barren land, less than Rs. 8 Lacs per acre in case of non irrigated single cropped land and Rs. 10 Lacs per acre in case of irrigated double cropped land as per the provision of the Rehabilitation Policy, 2007 of the State.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.